न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 175/2023 निर्णय दिनांक :–26.03.2025

उनवानी दावा :

शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी संजय नगर, सरकारी विद्यालय के पास, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर राज0

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला टोक राज0
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नगरफोर्ट जिला टोंक जरिये शाखा प्रबंधक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 144 खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0. 13 है0, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 2371 रकबा 2.45 है। कुल किता–9, कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी को अपने पिता गोरधना की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है। वादी का नाम सहवन से त्रुटिवश उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा अंकित हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा है तथा वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, जोब कार्ड, राशनकार्ड, बैंक की पासबुक आदि मे वादी का नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा अंकित है जो कि गोरधना का पुत्र है। वादी के पिता गोरधना के छोटूसिंह नाम का कोई पुत्र नही है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त कर वादी का नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।वादी के नाम का गलत अंकन होने से वादी उक्त आराजीयात बाबत केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त

26.03.25

नही कर पा रहा है जिसके कारण वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा है इस कारण वादी को यह वाद श्रीमान के न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण आज से 7 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादी जमाबंदी की नकल लेकर बैक मे केसीसी ऋण लेने के लिये गया जहां पर बैंक वालो ने वादी का नाम गलत अंकन होने से ऋण देने से मना कर दिया तब से लगातार रूप से जारी है। वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियो मे पेश है।

अतः वादी की अभियाचना है कि :–

अ– वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 144 खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 2371 रकबा 2.45 है0 कुल किता–9, कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित मे वादी का नाम दुरूस्त कर छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा के बजाय शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

ब– खर्चा मकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे हो प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 बावजद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– वाद का चरण सं. 1 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। वाद का चरण सं. 2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ पत्र, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा

26.3.25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 19/2016 निर्णय दिनांक :–28.03.2025

उनवानी दावा :

1. रामलाल पुत्र नानू जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामकुंवार पुत्र नानू जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी देवीखेडा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. बदाम पुत्री नानू जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद, उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा मीणा को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में आवंटित की गई थी तथा राजस्व कर्मचारियो उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर वादीगण के पिता को उसी समय सुपुर्द कर दिया था।। लेकिन उक्त भूमि जब राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज की गई थी उस समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा लापरवाही व उपेक्षापूर्ण रवैये से वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा के स्थान पर भूरा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देवीखेडा दर्ज कर दी थी। तभी से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता कब्जा–काश्त व खातेदारी चली आ रही है। वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा ने उक्त भूमि में काफी मेहनत व रूपया खर्च कर उक्त भूमि को काबिल–काश्त बनाया था। जिस पर वादीगण के पिता का लगातार कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग रहा है। वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा मीणा का स्वर्गवास हो चुका है, तथा वादीगण की माता श्रीमती गोदी देवी पत्नी नानू मीणा का भी स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है। जिसके एकमात्र विधिक वारिसान वादीगण है जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

29.3.25

नानू मृतक

रामलाल
(पुत्र)

रामकुंवार
(पुत्र)

बदाम देवी
(पुत्री)

वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा को आवंटन हुई उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 24 रकबा 0.96 है.. खसरा नम्बर 37 रकबा 0.01 है0 गै. मु.' गढ्ढा, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.40 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 है0 वाके तनग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के हाल राजस्व रिकार्ड में भी वादीगण के पिता कानानू पुत्र भूरा मीणा के स्थान भूरा पुत्र नानू दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण की अन्य खातेदारी की भूमि तनग्राम देवखेडा में स्थित है, जिसमें भी वादीगण के पिता का नाम नानू पुत्र भूरा मीणा है। जबकि भूरा पुत्र नानू नाम का कोई व्यक्ति ग्राम देवखेडा में नहीं रहा है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 18.07.2006 हो चुका है। उसके बाद भी उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण उक्त भूमि पर काबिज–काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण की उक्त वर्णित कब्जे काश्त भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण व राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत अंकन कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी नं. 2 व अन्य कई प्रभावशाली व्यक्ति वादीगण को जबरन उक्त वर्णित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा की खातेदारी में दर्ज होने व उसकी मृत्यु के विधिवत् रूप से वादीगण की खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी जिस पर वादीगण को काननून हक व अधिकार प्राप्त है। क्योंकि स्व. नानू पुत्र भूरा के विधिक वारिसान वादीगण स्वयं है। केवलमात्र राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियो की लिपिकीय त्रुटि होने के कारण वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने से फौती नामान्तकरण भी वादीगण के नाम नहीं खुल पाया है जो कि एक कानूनी भूल है। इस कारण वादीगण अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो रहे है। इस कारण वाद वर्णित भूमि में वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र नानू के बजाय नानू पुत्र भूरा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप नानू पुत्र भूरा का फौती नामान्तकरण वादीगण के नाम खोला जाकर वादीगण को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिसके लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत है। वाद वर्णित भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी नं. 2 जबरन वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी नं. 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियो के माध्यम से वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को जबरन उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, वादीगण की उक्त कब्जे काश्त की भूमि को किसी अन्य के नाम आवंटन नहीं करे तथा पाबंद रहे। यदि प्रतिवादी नं. 2 का उक्तानुसार

26.3.25

पाबंद नहीं किया गया तो वादीगण अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जायेगें जिससे वादीगण को काफी क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। वाद कारण हाल ही उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी व प्रतिवादी नं. 2 राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गलत रूप से अंकन होने के कारण खातेदारी अधिकार देने से मना करने व वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है. जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस दिया गया तो प्रतिवादीगण जबरन वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर देगें। इस कारण वाद अर्जेन्ट नेचर का है। वाद प्रस्तुति की अनुमति के लिए धारा 80 (2) सी.आर.पी. सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हैं। विवादित आराजियात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।उक्त वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश हैं।

वादीगण की अभियाचना हैं कि –

(अ) यह कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व उद्घोषणा खातेदारी इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 24 रकबा 0.96 है.. खसरा नम्बर 37 रकबा 0.01 है0 गै. मु. गढ्ढा, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.40 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 है0 वाके तनग्राम भीवड़ावास पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र नानू के बजाय नानू पुत्र भूरा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप नानू पुत्र भूरा का फौती नामान्तकरण वादीगण के नाम खोला जाकर वादीगण को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे

(ब) यह कि प्रतिवादी नं. 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वादीगण की भूमि हाल खसरा खसरा नम्बर 24 रकबा 0.96 है.. खसरा नम्बर 37 रकबा 0.01 है0 गै. मु. गढ्ढा, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.40 है0, कुल किता 4, कुल रकबा 2.50 है0 वाके तनग्राम भीवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान में स्थित है, में वह जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियो के माध्यम से वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को जबरन उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, वादीगण की उक्त कब्जे काश्त की भूमि को किसी अन्य के नाम आवंटन नहीं करे तथा पाबंद रहे।

(स) यह कि खर्चा मुकदमा जो वादीगण के हक में प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हक में हो दिलवाया जावे।

प्रतिवादी गण की तलबी जारी की गई। 28.3.25

CamScanner

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:-(1)वादी ने वाद न्यायालय में पेश किया है। (2) प्रार्थीगण के पिता नानू पुत्र भूरा कोम मीणा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम भीवड़ावास में 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी जिसका आवंटन आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है। (3) प्रार्थीगण प्रस्तुत सजरे में दो पुत्र रामलाल एवं रामकुमार तथा एक पुत्री बादाम देवी बताई गई है। (4) वर्तमान जमाबंदी में भूरा पुत्र नानू दर्ज है जो पहले से चला आ रहा है । (5) बिंदु संख्या 5 न्यायालय से संबंधित है । (6) बिंदु संख्या 6 न्यायालय से संबंधित है

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

<u>तनकियात बिन्दू:-</u>

1. आये वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा मीणा को आवंटित कब्जेकाश्त की भूमि साबिक ख. नं. 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख. नं. 24 रकबा 0.96 है0, ख. नं. 37 रकबा 0.01 है0, गै. मु. गढ्ढा, ख. नं. 38 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 40 रकबा 40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 है0 वाके तनग्राम भीवड़ावास में वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र नानू के स्थान पर नानू पुत्र भूरा दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड कराने के हकदार है तथा नानू पुत्र भूरा का फोती नामान्तकरण वादीगण के नाम खुलबाकर उक्त भूमि का खातेदार-काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ? -वादीगण-
2. आया प्रतिवादी का जवाब दावा न्यायसंगत है ? -पेरोकार सरकार-

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर पी. डब्ल्यू-1 केसरलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली का पेश किया। शपथ पत्र में पी. डब्ल्यू- 1 ने वाद के तथ्यो को ही प्रलेखित किया और प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:-प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 ग्राम कंवरपुरा, प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्वत 2033-36, प्रदर्श-4 व 5 नामान्तकरण संख्या 165 व 166, प्रदर्श-6 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श-7 ता 10 के नाटिस पेश किया है।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू-1 रामलाल पुत्र नानू जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.) , पी. डब्ल्यू- 2 भैरूलाल पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर उम्र 46 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.), पी. डब्ल्यू- 3 धुलाराम पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर उम्र 82 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.) व पी.डब्ल्यू-4 घीसालाल पुत्र लालाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.) के पेश किये। उक्त साक्ष्यो ने वाद के तथ्यो की ही ताईदी अपने शपथ पत्रों में की ।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:-प्रदर्श-1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्वत 2071-74, प्रदर्श-3 जमाबन्दी गिरदावरी सम्वत 2071-74 दिनांक 25.12.15, प्रदर्श-4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्वत

28.3.25

2065, प्रदर्श-6 नामान्तकरण, प्रदर्श-7 जमाबन्दी सम्वत 2035-39, प्रदर्श-8 छायाप्रति, प्रदर्श-9 प्रमाण पत्र, प्रदर्श-10 सजरा ग्राम पंचायत राजमहल, प्रदर्श-11 मृत्यु प्रमाण प प्रदर्श-12 जमाबन्दी सम्वत 2061, प्रदर्श-13 जमाबन्दी सम्वत 2061 पेश किये है।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है। पेरोकार सरकार द्वारा अन्य साक्ष्यो से जिरह नहीं करने से जिरह निल रही।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी सांक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा मीणा को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में आवंटित की गई थी उस समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा के स्थान पर भूरा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देवीखेडा दर्ज कर दी थी तभी से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता कब्जा-काश्त व खातेदारी चली आ रही है।

उक्त भूमि के हाल राजस्व रिकार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम नानू पुत्र भूरा मीणा के स्थान भूरा पुत्र नानू दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण की अन्य खातेदारी की भूमि तनग्राम देवखेडा में स्थित है, जिसमें भी वादीगण के पिता का नाम नानू पुत्र भूरा मीणा है। जबकि भूरा पुत्र नानू नाम का कोई व्यक्ति ग्राम देवखेडा में नहीं रहा है। इस कारण वाद वर्णित भूमि में वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र नानू के बजाय नानू पुत्र भूरा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप नानू पुत्र भूरा का फौती नामान्तकरण वादीगण के नाम खोला जाकर वादीगण को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिसके लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत है। अतः वादपूर्ण साबित होने से वाद को स्वीकार कर वाद को डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद के पेरा नं. 1 में वर्णित आवंटन पत्रावली पेश नहीं की है। मिशन में आवंटन भूरा पुत्र नानू को है। दोनो व्यक्ति अलग अलग है। अतः वाद को राजस्व दस्तावेज से साबित नहीं करने के कारण वाद को खारिज किया जावे तथा साथ ही न्यायालय से प्रार्थना है कि विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे।

पत्रावली निर्णय में नियत की गई।

<u>तनकीवार निर्णयः-</u>

1. आये वादीगण के पिता नानू पुत्र भूरा मीणा को आवंटित कब्जेकाश्त की भूमि साबिक ख. नं. 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख. नं. 24 रकबा

28.3.25

0.96 है0, ख. नं. 37 रकबा 0.01 है0, गै. मु. गढ्ढा, ख. नं. 38 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 40 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 है0 वाके तनग्राम भीवड़ावास में वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र नानू के स्थान पर नानू पुत्र भूरा दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड कराने के हकदार है तथा नानू पुत्र भूरा का फोती नामान्तकरण वादीगण के नाम खुलवाकर उक्त भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद को साबित करने के लिए प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 जिसमें खातेदार भूरा पुत्र नानू जाति मीणा सा0 देवखेड़ी खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–74 दिनांक 25.12.15 में खातेदार के रूप में भूरा पुत्र नानू जाति मीणा सा0 देवखेड़ी का नाम दर्ज है।

प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा से हाल ख. नं. 24 रकबा 0.96 है0, ख. नं. 37 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 38 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 40 रकबा 0.40 है0, बनना दर्शित है।

प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के अनुसार हाल ख. नं. 24 रकबा 0.96 है0, ख. नं. 37 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 38 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 40 रकबा 0.40 है0 के खातेदार भूरा पुत्र नानू मीणा सा. देवखेड़ी दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–6 रजिस्टर चकबन्दी मौजा भीवड़ावास में साबिक ख. नं. 11 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूरा वल्द नानू कोम मीणा के नाम जागीर दर्ज है।

प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2035–39 भूरा पुत्र नानू कोमी मीणा के साबिक ख. नं. 11 रकबा 10 बीघा 12 दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–8 छायाप्रति पहचान पत्र में नानूराम पुत्र भूराराम का अंकन है।

प्रदर्श–9 सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस में नानू पुत्र भूरा का अंकन है।

प्रदर्श–10 सजरा ग्राम पंचायत राजमहल दिनांक 19.07.2019 के अनुसार नानूराम पुत्र भूराराम के वारिस बदाम देवी पुत्री, रामलाल पुत्र व रामकुंवार पुत्र का अंकन है।

प्रदर्श–11 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2006 के अनुसार नानूराम मीणा पिता का नाम भूराराम मीणा का अंकन है।

प्रदर्श–12 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के ख. नं. 850 में नानूराम पुत्र भूराराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–13 जमाबन्दी सम्वत 2061 के ख. नं. 32, 34, 37, 61 में नानूलाल मोहनलाल पि. भूरा दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त प्रदर्शों का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वादी साबिक ख. नं. 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा से बने हाल ख. नं. हाल ख. नं. 24 रकबा 0.96 है0, ख. नं. 37 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 38 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 40 रकबा 0.40 है0 में दर्ज भूरा पुत्र नानू कोम मीणा सा. देवीखेड़ा

28.3.25

के स्थान पर नानू पुत्र भूरा करवाना चाहता है। वादी अपने वाद के चरण नं. 1 में नानू पुत्र भूरा मीणा को ग्राम भीवडावास में ख. नं. 11 मि. रकबा 10 बीघा 12 बिस्वां भूमि आवंटन बता रहा है परन्तु वादी ने वाद के आवंटन सम्बन्धी कोई पत्रावली पेश नहीं की है। साथ में वाद अनुसार भूरा की मृत्यु 40 साल पहले हो गई, इससे स्पष्ट है कि भूरा नाम का कोई व्यक्ति था परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वादीगण का दादा था अथवा अन्य कोई व्यक्ति था। अन्य दस्तावेज रजिस्टर चकबन्दी मौजा व भू–प्रबन्ध खतोनी में भूरा पुत्र नानू मीणा सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज है।

उक्त प्रदर्शो के विवेचन में किसी भी राजस्व दस्तावेज से यह साबित नहीं है कि नानू पुत्र भूरा को कोई भूमि आवंटन हुई थी और सहवन से नानू पुत्र भुरा के स्थान पर भूरा पुत्र नानू हो गया हो। वादीगण ने इस तरह का भी कोई आवंटन आदेश/पत्रावली पेश नहीं किया है कि विवादित आराजी भूरा पुत्र नानु अथवा नानू पुत्र भूरा को आवंटन हुई हो, साथ ही वादीगण ने ऐसे दस्तावेज भी पेश नहीं किये है कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त सेटलमेंट के पूर्व से लेकर अब तक चला आ रहा हो। ऐसी स्थिति में वाद को वादीगण द्वारा साबिक राजस्व दस्तावेज व लगातार कब्जाकाश्त से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता हैं।

2. **आया प्रतिवादी का जवाब दावा न्यायसंगत है ? –पेरोकार सरकार–** तनकी नं. 2 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 1 के विवेचन से ही प्रतिवादीगण का जवाब दावा साबित होता है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से वाद को वादीगण द्वारा साबिक राजस्व दस्तावेज व लगातार कब्जाकाश्त से साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज योग्य होने से वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.03.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी..

..मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.............

....

उनवानी दावा :

1. रामलाल पुत्र नानू जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामकुंवार, पुत्र नानू जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी देवीखेडा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. बदाम पुत्री नानू जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी देवीखेड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

— प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद, उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री महावीर सिंह राठोड़ एवं श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित खसरा नम्बरो. पर वादीगण का लगातार कब्जेकाश्त साबित नहीं होने व विवादित आराजी को साबिक व हाल नक्शा शीट द्वारा साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....

..................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना

आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ......उपखण्ड अधिकारी..............
देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.

CamScanner

अर्जी दावा य अदालत नाम टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)